न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 115/2024

वादी :–

1. प्रेमसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी चंपावतों का बास ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गौरव सांखला पुत्र श्रवण लाल सांखला
2. श्रवण लाल सांखला पुत्र राम सांखला जातियान माली निवासीगण रामदेव नगर नांदडी बनाड रोड तहसील व जिला जोधपुर
3. पानीदेवी पत्नी उदाराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह
5. विक्रम सिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण चंपावतों का बास ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी – श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.– 1 से 2 श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या – 6 सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 26/04/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 7.7664 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 673 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/16–1/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1६4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त खसरे की भूमि को वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वंशावली वादी के वाद पत्र के पैरा सं. 3 अनुसार है उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार गणपतसिंह वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5, महेन्द्रसिंह के पिता थे व भंवरकंवर के पति थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व. गणपतसिंह जी के वारिस वादी, प्रतिवादी संख्या 4 व 5, महेन्द्रसिंह व भंवरकंवर है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में गणपतसिंह जी के नाम दर्ज थी। गणपतसिंह जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन वादग्रस्त कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 4 व 5, महेन्द्रसिंह व भंवरकंवर के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार स्व. गणपतसिंह जी के प्रत्येक वारिस को वादग्रस्त कृषि भूमि में जरिये उतराधिकार 1/5–1/5–1/5 –1/5–1/5 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। वादी की माता भंवरकंवर द्वारा अपना 1/5 वां हिस्सा वादी, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व महेन्द्र सिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया। जिस पर वादी, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व महेन्द्र सिंह को वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4–1/4 –12/–1/4 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। महेन्द्र सिंह द्वारा अपना निहित व दर्ज 1६4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की सहमति से प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

दिनांक 06.11.2023 को बैचान कर दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा
के आधार पर स्वीकृत दर्ज म्यूटेशन संख्या 2013 के आधार पर
खरीदसुदा भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम राजस्व रेकर्ड
जमाबन्दी में दर्ज की गयी। प्रतिवादी संख्या 4 राजेन्द्र सिंह जो कि
आदतन शराबी है तथा पिछले 15 वर्षो से शराब का सेवन करता आ
रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का मानसिक संतुलन भी सही नही है।
प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बिना वादी, प्रतिवादी संख्या 5 विक्रमसिंह की
सहमति के, बिना विभाजन के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज
उसका 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये
रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 को बैचान कर दिया तथा उक्त
रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2036 के
आधार पर खरीदसुदा भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के
नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/16-1/16 वां हिस्सा के रूप में दर्ज
की गयी शेष 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकर्ड
जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से,
प्रतिवादी संख्या 4 के नाम उक्त बैचान के पूर्व निहित व दर्ज 1/4 हिस्सा
जरिये उताराधिकार प्राप्त होने से, वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन नही
होने से प्रतिवादी संख्या 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज उसका 1/4
हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की भूमि बिना वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की
सहमति के व बिना विभाजन के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान करने
का कानूनन अधिकार नही था तथा कानूनन उक्त बैचानसुदा भूमि पहले
वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को खरीद करने का अधिकार था। इसलिए
प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की बिना सहमति के.
बिना विभाजन के व खरीद हेतु वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष
प्रस्ताव नही रखने से, उसके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज
उसके 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 व
2 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 हिन्दू
उताराधिकार अधिनियम की धारा 22 में वर्णित प्रावधानों से बाधित होने
से अवैध, नल एण्ड वोईड है तथा अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड
बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2
को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त
नही होते है व न ही उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर प्रतिवादी
संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3,
4 व 5 के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की दखल करने
का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2
की स्थिति कानून की दृष्टि में अजनबी क्रेता की है, इस आधार पर भी
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी
संख्या 3, 4 व 5 के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की
दखल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि
के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण
संख्या 3 से 5 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या
3 से 5 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत
बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु
प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को
स्वीकार किया व नही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन
तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। इसलिए वादी को
अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृ
षि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे तरमीम करवाने के लिए यह वाद
बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 26.02.2024 को प्रतिवादी संख्या
4 द्वारा बिना वादी, प्रतिवादी संख्या 5 विक्रमसिंह की सहमति के, बिना
विभाजन के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज उसका 1/4 हिस्सा में
से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा
दिनांक 26.02.2024 को बैचान कर दिया तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2036 के आधार पर खरीदसुदा भूमि संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/16-1/16 व० हिस्सा के रूप में दर्ज की गयी शेष 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम उक्त बैचान के पूर्व निहित व दर्ज 1/4 हिस्सा जरिये उतराधिकार प्राप्त होने से, वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन नही होने से प्रतिवादी संख्या 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज उसका 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा की भूमि बिना वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की सहमति के ए बिना विभाजन के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान करने का कानूनन अधिकार नहीं था तथा कानूनन उक्त बैचानसुदा भूमि पहले वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को खरीद करने का अधिकार था। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की बिना सहमति के. बिना विभाजन के व खरीद हेतु वादी व प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रस्ताव नही रखने से, उसके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज उसके 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 22 में वर्णित प्रावधानों से बाधित होने से अवैध, नल एण्ड वोईड है तथा अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है व न ही उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की दखल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की स्थिति कानून की दृष्टि में अजनबी क्रेता की है, इस आधार पर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के संयुक्त कब्जा काश्त में कानूनन किसी प्रकार की दखल करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 के आधार पर दर्ज खरीदसुदा संयुक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से व विशेष भू भाग पर निर्माण करने की नियत से दिनांक 19.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व अपने साथ 4-5 अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये तथा साथ में अवैध निर्माण के लिए जे.सी.बी. मशीन व ट्रेक्टर मय ट्रोली में पत्थर डालकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये, जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समझाईश की कि षबिना विभाजन के आपकी स्थिति कानून की दृष्टि में अजनबी क्रेता की है, आपका रजिस्टर्ड बैचाननामा भी कानून की दृष्टि में अवैध, नल एण्ड वोईड है, जिसके आधार पर आपको वादग्रस्त कृषि भूमि के विशेष भू भाग पर बिना बंटवाड़ा के निर्माण करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। तब वादी की समझाईश से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके साथ आये व्यक्ति साथ में लाये उपरोक्त साधन सहित वापस चले गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जाते-जाते वादी को इस आशय की धमकी दी कि ष्इस बार तो हम वापस जा रहे है, आयन्दा हम मौका देखकर हमारी खरीदसुदा भूमि पर हम जबरन कब्जा करके रहेंगे तथा उस पर निर्माण करके रहेंगे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना विभाजन के, अवैध व नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 के आधार पर जबरन कब्जा करने तथा विशेष भू भाग पर निर्माण करने पर आमादा है, जबकि कानूनन उन्हे बिना विभाजन के व अवैध व नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो कब्जा करने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का अधिकार है व न ही निर्माण करने का अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि पर उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने में सफल हो जायेंगे, जिससे प्रकरण में मुकदमेंबाजी व पैचिदगिया बढ जायेगी तथा वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेंगा तथा वादी का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त गैर कानूनी कृत्य कारित करने से रोकने हेतु उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण दिनांक 26.02.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि के बिना विभाजन के, बिना वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की सहमति के प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित अपना 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 26.02.2024 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बैचान करने, उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा कानून की दृष्टि में अवैध, नल एण्ड वोईड होने से, अवैध, नल एण्ड वोईड रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खरीदसुदा भूमि स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2036 द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने से, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीदसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से उनके नाम दर्ज होने के आधार पर दिनांक 19.09.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने व विशेष भू भाग पर निर्माण करने का प्रयास करने, वादी द्वारा समझाईश करने पर वापस जाने, वापस जाते समय मौका देखकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने व विशेष भू भाग पर निर्माण करने की धमकी वादी को देने पर व वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा हेतु प्रतिवादी संख्या 3 से 5 सहमत नही होने पर बमुकाम ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 7.7664 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में स्थित वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार वादी की खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा वाद दिनांक 23.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 301 रकबा 7.7664 हैक्टयर में वादी का 1/4 हिस्सा का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान कियागया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा

1	प्रेमसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	301	1.9416
	कुल योग	1	1.9416
2	गोरव सांखला पुत्र श्रवणलाल हि. 1/2 श्रवणलाल सांखला पुत्र श्रीराम सांखला जाति माली सा. रामदेवनगर नान्दडी बनाड रोड तहसील जोधपुर खातेदार	301	0.9708
	कुल योग	1	0.9708
3	पानीदेवी पत्नी उदाराम जाति सीरवी सा. पालासनी तहसील जोधपुर खातेदार	301	1.9416
	कुल योग	1	1.9416
4	विक्रमसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	301	1.9416
	कुल योग	1	1.9416
5	राजेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	301	0.9708
	कुल योग	1	0.9708

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.08.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.08.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रेमसिंह		गौरव सांखला वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 115/2024

निर्णय **दिनांक :-** 26/08/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.08.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा